



राजस्थान सरकार  
राजस्व (गुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9 (28)राज./गुप-1/2012

जयपुर दिनांक 05-03-2012

— : अधिसूचना:—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम 15) की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि जिला नागौर तहसील खीवसर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या -6 में अंकित को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम सं. 8 के अनुसार होगा:—

क्र. सं.	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या क्षेत्रफल (हेक्टर में)		प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या क्षेत्रफल (हेक्टर में)		दूरी किलोमीटर में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हेक्टर में)
			जन सं.	क्षेत्रफल		जन सं.	क्षेत्रफल		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	नागौर / खीवसर	नागड़ी	2657	2496.64	नयापुरा	467	529.91	5	1504.68
					रूपनगर	390	462.05	4	

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, नागौर को अधिकृत किया जाकर जिला कलेक्टर विभागीय परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज.-1/ 07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

26/3/12

2/3/12

2/3/12

2/3/12

आज्ञा से,  
(अन्तर सिंह)  
शासन उप सचिव